

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 01.03.2023
शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-33 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

01. थाना कोतवाली धानेपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राममोहन पाण्डेय पुत्र रामनिहाल निवासी गूदरपुरवा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०- 68/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 01.03.2023

अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त मालिकचन्द तिवारी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 150 ग्राम अवैध गाँजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मालिक चंद तिवारी पुत्र राज नारायण तिवारी निवासी किन्धौरा तिवारी पुरवा तरबगंज जनपद गोंडा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 90/2023 धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना तरबगंज जनपद गोंडा

बरामदगी-

01. 1 किलो 150 ग्राम अवैध गाँजा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

उ०नि० विजय बहादुर सिंह मय टीम।